भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 374

(02 दिसंबर, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ

374. डॉ. एम. के. विष्णु प्रसाद:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार की निर्धन और हाशिए पर पड़े व्यक्तियों के लिए विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान तमिलनाडु में विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए राज्य-वार और जिला-वार कितना बजट आवंटन और निधि जारी की गई; और

(ग) केंद्र द्वारा विगत पांच वर्षों के दौरान तमिलनाडु राज्य सहित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए जारी की जाने वाली धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(श्री कमलेश पासवान)

(क) ग्रामीण विकास मंत्रालय गरीब और हाशिए पर रहने वाले लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा योजना) , प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) कार्यान्वित कर रहा है। योजनाओं का संक्षिप्त ब्यौरा इस प्रकार है:

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम(एनएसएपी) ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) जीवन यापन करने वाले समाज के सबसे कमजोर व्यक्तियों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम है। वर्तमान में, एनएसएपी एक 100% केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) है जो गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) जीवन यापन करने वाले परिवारों से

संबंधित व्यक्तियों को शामिल करती है। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित योजनाएँ कार्यान्वित की जा रही हैं:

i. **राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना** - 60 से 79 वर्ष के आयु समूह के व्यक्तियों को ₹200/- प्रति माह की सहायता दी जाती है और 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों को ₹500/- प्रति माह की सहायता दी जाती है।

ii. **राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना** - 40 से 79 वर्ष के आयु समूह की विधवाओं को ₹300/- प्रति माह की सहायता दी जाती है और 80 वर्ष और उससे अधिक आयु की विधवाओं को ₹500/- प्रति माह की सहायता दी जाती है।

iii. **राष्ट्रीय दिव्यांगता पेंशन योजना** - 18 से 79 वर्ष की आयु के गंभीर या बहु-दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को ₹300/- प्रति माह की सहायता दी जाती है और 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों को ₹500/- प्रति माह की सहायता दी जाती है।

iv. **राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना** - 18 से 59 वर्ष के बीच की आयु के मुख्य आय अर्जक की मृत्यु पर एकमुश्त ₹20,000/- की सहायता दी जाती है। यह एक मांग-आधारित योजना है।

v. **अन्नपूर्णा योजना** - उन वरिष्ठ नागरिकों को 10 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति माह निःशुल्क दिया जाता है जो यद्यपि पात्र होते हुए भी वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त नहीं कर रहे हैं।

मंत्रालय ग्रामीण क्षेत्रों में "सभी के लिए आवास" के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए 01 अप्रैल 2016 से**प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी)** को कार्यान्वित कर रहा है ताकि पात्र ग्रामीण परिवारों को बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्के घरों के निर्माण के लिए सहायता प्रदान की जा सके।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना) एक मांग-आधारित मजदूरी रोजगार योजना है जो देश के ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा बढ़ाने का प्रावधान करती है। इसके तहत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में उन प्रत्येक परिवारों जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक है, को कम से कम एक सौ दिनों का गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान किया जाता है।

अन्य मंत्रालयों/विभागों द्वारा कार्यान्वित की जा रही प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

(ख) और (ग) ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजनाओं के तहत आवंटित बजट से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधि, योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार जारी की जाती है। ग्रामीण विकास मंत्रालय की निम्नलिखित योजनाओं के तहत पिछले पाँच वर्षों के दौरान तमिलनाडु को जारी की गई निधि का ब्यौरा इस प्रकार है:

(रु करोड़ में)

योजना	**वर्ष 2020-2021 से 2024-25** तक
एनएसएपी	3064.64
महात्मा गांधी नरेगा योजना	48392.01
पीएमवाई-जी (पीएम जनमन सहित)	3207.26

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत, जिलों को सीधे कोई निधि जारी नहीं की जाती है। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत जिला-स्तर पर वित्तीय वर्ष-वार उपयोग की गई निधि को https://rhreporting.nic.in/netiay/FinancialProgressReport/Report_HighLevel_Financial Progress.aspxपर देखा जा सकता है:

*****

"सामाजिक सुरक्षा योजनाएं" के संबंध में लोक सभा में दिनांक 02.12.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 374 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध:

अनुबंध

अन्य मंत्रालयों/विभागों द्वारा कार्यान्वित की जा रही प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ

(i) प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) दिनांक 09.05.2015 को अखिल भारतीय स्तर पर शुरू की गई थी। यह 18 से 70 वर्ष के आयु वर्ग के सभी ग्राहक बैंक खाताधारकों को ₹2 लाख (मृत्यु या स्थायी पूर्ण दिव्यांगता) और ₹1 लाख (स्थायी आंशिक दिव्यांगता) का नवीकरणीय एक वर्षीय दुर्घटना कवर प्रदान करती है।

(ii) प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) दिनांक 09.05.2015 को अखिल भारतीय स्तर पर शुरू की गई थी। यह 18 से 50 वर्ष के आयु वर्ग के सभी ग्राहक बैंक खाताधारकों को किसी भी कारण से होने वाली मृत्यु को कवर करते हुए ₹2 लाख का नवीकरणीय एक वर्षीय आवधिक जीवन बीमा कवर प्रदान करती है।

(iii) अटल पेंशन योजना (एपीवाई)को दिनांक 09.05.2015 को शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य विशेष रूप से गरीब, वंचित और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली बनाना है। ग्राहक को 60 वर्ष की आयु के बाद मृत्यु होने तक, चुने गए अंशदान के आधार पर, सरकार द्वारा ₹1,000 प्रति माह से ₹5,000 प्रति माह की गारंटीकृत न्यूनतम पेंशन प्राप्त होती है। ग्राहक की मृत्यु के बाद पति या पत्नी उसी पेंशन राशि को प्राप्त करने के हकदार होते हैं।

(iv) प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (पीएम-केएमवाई) देश भर के सभी भूमिधारक लघु और सीमांत किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान कर रही है। यह योजना एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है। इस पहल के तहत, पात्र लघु और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद ₹3,000 प्रति माह की निश्चित मासिक पेंशन दी जाती है। पात्र होने के लिए, किसान अपने कामकाजी वर्षों के दौरान मासिक अंशदान करते हैं, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा भी समान अंशदान दिया जाता है।

(v) प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएम-एसवाईएम) असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वृद्धावस्था सुरक्षा प्रदान करने के लिए फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना शुरू की गई थी। यह एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है। इस योजना के तहत, असंगठित श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद ₹3,000/- प्रति माह की

सुनिश्चित मासिक पेंशन प्रदान की जाती है। इस योजना में शामिल होने के लिए 18 से 40 वर्ष के आयु वर्ग के वे श्रमिक पात्र हैं जिनकी मासिक आय ₹15,000/- या उससे कम है और जो ईपीएफओ/ईएसआईसी/एनपीएस (सरकार द्वारा वित्त पोषित) के सदस्य नहीं हैं।

(vi) आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबीपीएमजेएवाई) द्वितीयक और तृतीयक देखभाल के लिए अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति पात्र परिवार को ₹5 लाख का वार्षिक स्वास्थ्य कवर प्रदान करती है।

(vii) अटल वयो अभ्युदय योजना का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को आश्रय, भोजन, स्वास्थ्य सेवा और मानवीय सुविधा/गरिमापूर्ण जीवन जैसी बुनियादी सुविधाएँ प्रदान करके उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है।